



समाहरणालय—जहानाबाद (जिला प्रोग्राम शाखा, आई0सी0डी0एस0)



ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन संबंधी आवश्यक सूचना।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 2862 दिनांक 04.11.2011 द्वारा निर्गत ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की मार्गदर्शिका 2011 एवं इसमें अबतक संशोधित प्रावधानों ज्ञापांक 423 दिनांक 03.02.2012, ज्ञापांक 1001 दिनांक 20.03.2012, ज्ञापांक 1528 दिनांक 27.04.2012, ज्ञापांक 2897 दिनांक 10.06.2013 एवं पत्रांक 6989 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना कार्यालय में ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका की निम्नलिखित परियोजनावार रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु इच्छुक महिला अभ्यर्थी (पोषक क्षेत्र की बहु) से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है।

परियोजनावार ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका की संभावित रिक्तियाँ निम्न प्रकार है :-

क्र०	बाल विकास परियोजना का नाम	केन्द्र का नाम / कोड सं०	पंचायत / वार्ड नं०	रिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र		
				स्वीकृत पद		केन्द्र का प्रकार
				सेविका	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7
01	काको	काको मुसहरी / 45	पश्चिमी काको / 08	सेविका	-	पूर्व से स्वीकृत
02	जहानाबाद	कुम्हवां / 47	किनारी / 06	-	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत

ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन कार्यक्रम

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 09.03.2015 से 16.03.2015 संध्या 05:00 तक
औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन की तिथि	दिनांक 18.03.2015
प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के विरुद्ध आपति दर्ज करने की तिथि	दिनांक 19.03.2015 से 21.03.2015 तक
आपति निराकरण की अंतिम तिथि	दिनांक 23.03.2015
अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन	दिनांक 25.03.2015
आम सभा की तिथि	संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संबंधित अध्यक्षों से सम्पर्क कर आम सभा की तिथि निर्धारित कर सभी संबंधितों को विधिवत सूचना देगी।

1. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. रिक्त पद सेविका/सहायिका से संबंधित विस्तृत जानकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं जहानाबाद जिले के वेबसाईट www.jehanabad.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।
3. निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 276 दिनांक 16.01.2014 के आलोक में प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति के अनुशंसा के पश्चात् ही ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन बैध माना जायेगा।
4. बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा आवेदन नहीं लिये जाने संबंधी शिकायत तत्काल लिखित रूप से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद के समक्ष की जा सकती है।

5. ऑगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता :-

(1) शैक्षणिक योग्यता :- सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो (2) चयन प्रक्रिया में पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी (3) अभ्यर्थी की आयु 01.01.2015 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए (4) सेविका को संबंधित वार्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। (5) जनप्रतिनिधियों/जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्धसरकारी सेवको/विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेता जैसे - जनवितरण प्रणाली विक्रेता, घुमंतु किरोसीन तेल के विक्रेता की पत्नी/बहू/रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगी। (रिश्तेदार से अर्थ है - पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहू), निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार पटना के पत्रांक 2897 दिनांक 10.06.2013 के द्वारा किये गये संशोधन/प्रावधान अनुमान्य होगा (6) बिकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40% तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा ऑगनबाड़ी केन्द्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा (7) सेविका के अभ्यर्थियों को सभी प्रकार के प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

6. सहायिका के चयन हेतु अर्हता :-

(1) सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम पास होगी (2) अन्य सभी योग्यताएँ कंडिका 02 से 06 तक के समरूप होगी (3) आँगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवार का ही चयन किया जायेगा (4) सेविका को संबंधित वार्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। (5) जनप्रतिनिधियों/जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्धसरकारी सेवको/विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेता जैसे - जनवितरण प्रणाली विक्रेता, घुमंतु किरोसीन तेल के विक्रेता की पत्नी/बहू/रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगी। (रिश्तेदार से अर्थ है - पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहू), निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार पटना के पत्रांक 2897 दिनांक 10.06.2013 के द्वारा किये गये संशोधन/प्रावधान अनुमान्य होगा (6) विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40% तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आँगनबाड़ी केन्द्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा (7) सेविका के अभ्यर्थियों को सभी प्रकार के प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

7. सेविका/सहायिका पदों के लिए अयोग्यताएँ :-

- किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।
- किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित अभ्यर्थी इस पत्र के लिए अयोग्य होंगी।
- सेविका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिश्तेदार नहीं होंगी, यथा सास-बहू/ननद-भाभी/देवरानी-जेठानी/मां-बेटी/बहन-बहन/बहन-भतीजी/सगी गोतनी आदि।
- विभिन्न अनुशासनिक/जांच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए अयोग्य होगी।
- सेविका/सहायिका चयन संशोधित मार्गदर्शिका 2011 के अनुसार आशा कार्यकर्ता, सरकारी/अर्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत है वे सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होंगी। आशा कार्यकर्ता का चयन सेविका/सहायिका के पद पर किया जायेगा। चयन होने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ पत्र में त्याग पत्र उपलब्ध करायेगी।
- आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्ता है ये सरकारी अर्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर नहीं है। अतः इनके रिश्तेदार का चयन सेविका/सहायिका के पद पर किया जायेगा।

8. सेविका के लिए मेधा सूची का निर्धारण :-

(1) मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जायेगा। परन्तु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंको को शामिल नहीं किया जायेगा। (2) इण्टर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 7 (सात) बोनस अंक दिये जायेंगे। (3) इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाएंगे। (क) विधवा/परित्यक्ता - 07 अंक (ख) विकलांग - 05 अंक (ग) सहायिका - 05 अंक।

9. **ऑबर्जवर की नियुक्ति :-** सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 5145 दिनांक 30.09.2013 के आदेशानुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु शिकायतों के निवारण एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निमित्त, स्वयं अन्तर पंचायत (बगल के पंचायत को छोड़कर) Randomly केन्द्रवार ऑबर्जवर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय को छोड़कर) को की जायेगी। प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरान्त ही सेविका/सहायिका चयन की कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा। ऑबर्जवर का दायित्व सेविका/सहायिका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन से प्रारंभ होकर आवेदन प्राप्त करने, आवेदन संधारित पंजी का अवलोकन करने, मेधा सूची बनाने तथा आपत्ति प्राप्त करने एवं उसके निराकरण से प्रारंभ होकर आमसभा में सही एवं सक्षम महिला का चयन करने एवं चयन पत्र निर्गत करने तक का होगा।

नोट :- उपरोक्त चयनित प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकार न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम आदेश से प्रभावित होगा।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
जहानाबाद।

जिला पदाधिकारी
जहानाबाद।



आवेदन का प्रारूप

सेविका/सहायिका चयन हेतु आवेदन प्रपत्र



बाल विकास परियोजना का नाम :-

1. आवेदित पद का नाम - सेविका/सहायिका

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम -

3. पिता/पति का नाम -

4. पत्राचार का पता -

5. स्थाई पता -

6. फोन नं०/मोबाईल नं० -

6. शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

पासपोर्ट साईज
फोटो
अभिप्रमाणित

शैक्षणिक योग्यता	उत्तिर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	श्रेणी
मैट्रीक				
इन्टर				
स्नातक				
अन्य				

7. अनुभव (यदि हो तो) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

8. उम्र (जन्म तिथि) (अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)।

जन्म तिथि दिन माह वर्ष

घोषणा - पत्र

मैं पिता/पति ग्राम

..... पोस्ट थाना जिला

..... घोषणा करती हूँ कि मेरे असंतोषप्रद कार्य के फलस्वरूप यदि मुझे सेवा से मुक्त किया जाएगा तो मैं इसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जाऊंगी।

तिथि :-

स्थाना :-

आवेदक का हस्ताक्षर